समाहरणालय, जमुई
(खनन शाखा)

पत्रांक– 410 /खनन, जमुई, दिनांक– 09.11.2017

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
जमुई।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना–15.

विषयः लघु खनिज व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में ।

O/C

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आग्रह करना है कि इस पत्र के साथ संलग्न विज्ञापन का प्रारूप जमुई जिला के स्थानीय मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय ।

09.11.17
खनिज विकास पदाधिकारी
जमुई

विश्वासभाजन
9/11/17
समाहर्त्ता,
जमुई।

अनुलग्नकः– 1. विज्ञापन का प्रारूप
(5 प्रति, Hard Copy)

2. विज्ञापन प्रारूप का C.D.
(Shoft Copy)

बिहार सरकार
जिला खनन कार्यालय, जमुई

लघु खनिज के व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन

बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के नियम 45 के तहत लघु खनिज, यथा बालू, मोरम, चिप्स, पत्थर, ईंट, मिट्टी, सजावटी पत्थर, मार्बल, सैडंस्टोन, आदि के व्यापार के लिए खुदरा अनुज्ञप्ति (Retail License) हेतु सभी इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों से अंचलवार आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन प्रपत्र/निविदा प्रपत्र जिला खनन कार्यालय, जमुई से अथवा समाहरणालय, जमुई के Website (jamui.bih.nic.in) से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा/आवेदन प्रपत्र के क्रय हेतु तीन हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट (खनिज विकास पदाधिकारी, जमुई के पदनाम से) जिला खनन कार्यालय, जमुई में जमा करना होगा। डाउनलोड किये गये प्रपत्र के साथ भी तीन हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट देना अनिवार्य होगा।

समाहरणालय, जमुई के Website पर अनुज्ञप्ति हेतु अर्हता, अन्य शर्तें, आवेदन हेतु विहित प्रपत्र, अंचलवार खुदरा अनुज्ञप्ति की संख्या एवं बैंक गारंटी का प्रपत्र देखा जा सकता है।

विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 25.11.2017 तक जिला खनन कार्यालय, जमुई में जमा करना होगा। निविदा का निष्पादन समाहरणालय, जमुई के संवाद कक्ष में दिनांक 27.11.2017 सायं 4:00 बजे होगा।

9/11/17

समाहर्त्ता,
जमुई।

09.11.17

खनिज विकास पदाधिकारी
जमुई

जमुई जिलान्तर्गत लघु खनिज के व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन–प्रपत्र

1. अंचल का नाम जहाँ के लिये अनुज्ञप्ति चाहिए:–
2. आवेदक का नाम :–
3. पति / पिता का नाम :–
4. आवेदक का ई–मेल तथा मोबाईल न0 :–
5. आवेदक का स्थायी पता :–

फोटोग्राफ चिपकायें

6. आवेदक का व्यापारिक पता (जहाँ वह लघु खनिज का व्यापार करना चाहते हों) :–
7. आवेदक के पास उपलब्ध कार्यालय एवं कम्प्यूटर की सुविधा संबंधी विवरणी, बतायें कि कार्यालय कितना बड़ा है एवं कम्प्यूटर तथा अन्य कर्मी इत्यादि कितने हैं।
8. आवेदक के पास स्वयं के कितने वाहन हैं :–
9. आवेदक के पास वाहन खड़े पार्किंग हेतु कितनी भूमि उपलब्ध हैं। आवेदक के पास स्वयं की भूमि न हो तो वह उचित किराये पर भी इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। कृपया उक्त भूमि का रकबा एवं पता स्पष्ट अंकित किया जाए। भूमि संबंधी कागजात शपथ–पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित किया जाय।
10. संलग्न कागजात :– आवेदक निम्नलिखित कागजात आवेदन के साथ संलग्न करें :–
    a. PAN Card की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।
    b. Aadhar Card की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।
    c. यदि आवेदक फर्म है, तो उसके निबंधन प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।
    d. चरित्र प्रमाण–पत्र (Police Verification Report) की स्व–अभिप्रमाणित प्रति / मूल प्रति।
    e. संलग्न ड्राफ्ट का विवरण :–
       बैंक का नाम / ड्राफ्ट संख्या एवं तिथि
    f. निम्न प्रकार का एक शपथ–पत्र :–

"मैं .... (आवेदक का नाम) घोषण करता हूँ कि खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के तौर पर समाहर्त्ता के समक्ष दी गयी सभी सूचनायें सही हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे ऊपर खान एवं भूतत्व विभाग या किसी अन्य विभाग की कोई सरकारी राशि देय नहीं है और न ही मुझे सरकार द्वारा कभी **Black list** किया गया है। मैं यह भी घोषण करता हूँ कि बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के तहत दी गई शर्तें तथा विज्ञापन में दी गयी सभी शर्तों का पालन करूँगा। मैं लघु खनिज के परिवहन में उन्हीं वाहनधारियों से व्यवसाय करूँगा जिनपर Digital Lock तथा GPS लगा होगा। मैं ऐसे किसी वाहन के माध्यम से न खनिज खरीदूँगा और न बेचूँगा जिस पर GPS एवं Digital Lock नहीं लगा होगा ।"

आवेदक का हस्ताक्षर

बिहार सरकार

समाहरणालय, जमुई
(खनन शाखा)

लघु खनिज व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लघु खनिजों का थोक व्यापार बिहार राज्य खनन निगम द्वारा किया जाएगा तथा खुदरा व्यापार हेतु प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में खुदरा अनुज्ञप्तियाँ समाहर्त्ता द्वारा प्रदान की जाएगी। नवगंठित नयी बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के नियम 45 के तहत खुदरा अनुज्ञप्ति देने की शक्ति समाहर्त्ता को प्रदत्त है।

उक्त आलोक में सभी इच्छुक/फर्मों से लघु खनिज के व्यापार के खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। जमुई जिलान्तर्गत अंचलवार खुदरा अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु संख्या निम्नवत निर्धारित है :–

क0सं0	अंचल का नाम	खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित संख्या
1	जमुई	07
2	चकाई	05
3	सिकन्दरा	05
4	अलीगंज	05
5	लक्ष्मीपुर	05
6	खैरा	05
7	गिद्धौर	03
8	सोनो	05
9	झाझा	07
10	बरहट	03

1. अनुज्ञप्ति देने के लिए निम्न अर्हता होगी:–
   - i. अनुज्ञप्तिधारी को, जिस क्षेत्र में वह अनुज्ञप्ति चाहता है, उस क्षेत्र में एक कार्यालय होना तथा कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं कर्मियों की सुविधा होना अनिवार्य है।
   - ii. अनुज्ञप्तिधारी के पास कम–से–कम 05 वाहनों को खड़ा करने की भूमि होनी चाहिए। लघु खनिज से लदे ट्रक किसी भी हालत में सरकारी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखे जाने चाहिए। यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास स्वयं की भूमि नहीं है तो वह किराये पर यह व्यवस्था कर सकते है। यह भूमि मुख्य बाजार व आबादी से दूर अवस्थित होना चाहिए।
   - iii. अनुज्ञप्तिधारी को PAN CARD Holder तथा Adhar Card होना अनिवार्य है।
   - iv. अनुज्ञप्तिधारी को Police Verification Report भी देना अनिवार्य होगा ।

2. अनुज्ञप्तिधारी हेतु अन्य शर्तें :–
   - i. खुदरा अनुज्ञप्ति मिलने पर GST Registration अनिवार्य होगा ।
   - ii. अनुज्ञप्तिधारी को सभी व्यापार E-Challan के माध्यम से करना होगा ।
   - iii. नियम 53 के तहत, अनुज्ञप्तिधारी के पास, यदि अपने ट्रक हैं, तो उनमें Digital Lock तथा GPS लगाना अनिवार्य होगा।

iv. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी वाहनधारी अथवा ट्रैक्टरधारी के साथ व्यापार नहीं करेंगे जिन्होंने Digital Lock तथा GPS नहीं लगवाया है।

v. अनुज्ञप्तिधारी अपने सभी Return ससमय जिला खनन पदाधिकारी तथा विभाग के समक्ष दायर करेंगे ।

vi. सभी खुदरा अनुज्ञप्ति 3 वर्षों के लिए दी जाएगी।

vii. अनुज्ञप्ति शुल्क प्रति वर्ष 10,000/– (दस हजार) रूपये की दर से कुल 30,000/– (तीस हजार) रूपये प्रारम्भ में ही ले लिये जायेंगे।

viii. अनुज्ञप्तिधारी को 03 वर्ष की अवधि के लिये 1,00,000/–(एक लाख) रूपये की बैंक गारंटी देनी होगी।

ix. निविदा प्रपत्र जिला खनन कार्यालय, जमुई अथवा समाहरणालय के Website (jamui.bih.nic.in) से Download कर प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए खनिज विकास पदाधिकारी, जमुई के पदनाम से तीन हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट देय होगा।

x. खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु एकरारनामा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

xi. अनुज्ञप्तिधारी को बिहार लघु खनिज नियमावली,2017 के नियम 74 के तहत मात्र एक ही खाता खोलना है एवं इस अनुज्ञप्ति संबंधी समस्त व्यापार उसी खाते के माध्यम से करना है।

3. खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय कमीशनः– सभी खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को बिहार राज्य खनन निगम द्वारा लघु खनिज की बिक्री का कुल मूल्य (Ex Go Down of BSMC) पर कमीशन देय होगा। कमीशन खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा तय किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त परिवहन खर्च भी प्रति किलोमीटर की दर से देय होगा।

4. खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय परिवहन खर्चः– खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय परिवहन खर्च वही होगा जो समाहर्त्ता तय करेंगे।

5. इच्छुक आवेदक निम्न प्रपत्र में आवेदन दे सकते हैं।

i. आवेदक का नामः–

ii. आवेदक का ई–मेल तथा मोबाईल न0 :–

iii. आवेदक का स्थायी पता :–

iv. आवेदक का व्यापारिक पता (जहाँ वह लघु खनिज का व्यापार करना चाहते हों):–

v. आवेदक के पास उपलब्ध कार्यालय एवं कम्प्यूटर की सुविधा संबंधी विवरणी बतायें कि कार्यालय कितना बड़ा है एवं कम्प्यूटर तथा अन्य कर्मी इत्यादि कितने है।

vi. आवेदक के पास स्वयं के कितने वाहन हैं :–

vii. आवेदक के पास वाहन खड़े पार्किंग हेतु कितनी भूमि उपलब्ध हैं। आवेदक के पास स्वयं की भूमि न हो तो वह उचित किराये पर भी इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। कृपया उक्त भूमि का रकबा एवं पता स्पष्ट अंकित किया जाए। भूमि संबंधी कागजात शपथ–पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित किया जाय।

viii. संलग्न कागजात :– आवेदक निम्नलिखित कागजात संलग्न करें :–

a. PAN Card की प्रति।

b. Aadhar Card की प्रति।

c. यदि आवेदक फर्म है, तो उसके निबंधन प्रमाण–पत्र की प्रति।

d. चरित्र प्रमाण–पत्र (Police Verification Report) की प्रति।

e. निम्न प्रकार का एक शपथ–पत्र :–

"मैं .... (आवेदक का नाम) घोषण करता हूँ कि खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के तौर पर समाहर्त्ता के समक्ष दी गयी सभी सूचनायें सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे ऊपर खान एवं भूतत्व विभाग या किसी अन्य विभाग की कोई सरकारी राशि देय नहीं है और न ही मुझे सरकार द्वारा कभी Black list किया गया है। मैं यह भी घोषण करता हूँ कि बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के तहत दी गई शर्तें तथा विज्ञापन में दी गयी सभी शर्तों का पालन करूँगा। मैं लघु खनिज के परिवहन में उन्हीं वाहनधारियों से व्यवसाय करूँगा जिनपर Digital Lock तथा GPS लगा होगा। मैं ऐसे किसी वाहन के माध्यम से न खनिज खरीदूँगा और न बेचूँगा जिस पर GPS एवं Digital Lock नहीं लगा होगा ।"

आवेदक का हस्ताक्षर

6. उपरोक्त आवेदन दिनांक 25.11.2017 तक निम्न पत्ते पर भेजा जाए।
जिला खनन कार्यालय, जमुई
न्यू टोला, महिसौड़ी, जमुई।

समाहर्त्ता, जमुई

जिला खनन कार्यालय, जमुई

संलग्न किये जाने वाले कागजात का चेक लिस्ट

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि– 25.11.2017

आवेदन निष्पादन की तिथि–27.11.2017

आवेदन निष्पादन का स्थान–समाहरणालय, जमुई का संवाद कक्ष

1. PAN CARD की स्वअभिप्रभाणित प्रतिः– हाँ/नहीं
2. आधार कार्ड की स्वअभिप्रभाणित प्रतिः– हाँ/नहीं
3. जमीन का कागजात का स्वअभिप्रभाणित प्रतिः– हाँ/नहीं
4. वाहन का कागजात का स्वअभिप्रभाणित प्रतिः– हाँ/नहीं
5. कर्मी का विवरण का स्वअभिप्रभाणित प्रतिः– हाँ/नहीं
6. शपथ पत्र की स्वअभिप्रभाणित प्रतिः– हाँ/नहीं
7. कम्प्यूटर,प्रिंटर की स्वअभिप्रभाणित प्रतिः– हाँ/नहीं
8. कार्यालय के संबंध में कागजत की स्वअभिप्रभाणित प्रतिः– हाँ/नहीं
9. Police verification Report की स्वअभिप्रभाणित प्रतिः– हाँ/नहीं
10. फर्म का Resignation की स्वअभिप्रभाणित प्रतिः– हाँ/नहीं
11. GST की स्वअभिप्रभाणित प्रतिः– हाँ/नहीं
12. Draft (3000रू0) हाँ/नहीं

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुज्ञप्ति हेतु प्रारूप

लघु खनिज हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति

श्री/मेसर्स .... को सभी लघु खनिजों के खुदरा व्यापार हेतु यह अनुज्ञप्ति निर्गत की जाती है। अनुज्ञप्ति की अवधि दिनांक .... से .... तक होगी।

2. अनुज्ञप्तिधारी बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 में उल्लेखित सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करेंगे।

3. अनुज्ञप्तिधारी को लघु खनिज संबंधी सभी व्यापार खनन एवं भूतत्व विभाग द्वारा विकसित ई–चालान प्रणाली के माध्यम से करना होगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी का ई–चालान इत्यादि सेवाओं के लिए User Id .... है तथा Password .... है।

समाहर्त्ता के आदेश से।

जिला खनन पदाधिकारी।

के. के. पाठक, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार
विकास भवन, पटना–800 015
दूरभाष : 0612–2215857 (का०)

सत्यमेव जयते
बिहार सरकार

K. K. PATHAK, IAS
Principal Secretary
Department of Mines & Geology
Government of Bihar
Vikas Bhawan, Patna - 800 015
Tel : 0612-2215857 (Off.)
Fax : 0612-2232930
E-mail : secymine-bih@nic.in

पत्रांक 3024/खा० / दिनांक 11/10/17

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

विषयः – नयी लघु खनिज नियमावली, 2017 – खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु प्रावधान

महाशय,

राज्य सरकार द्वारा बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 प्रख्यापित की जा चुकी है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। इसके साथ ही बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972 विलोपित की गई है। बालू नीति, 2013 भी विलोपित की गई है।

आपसे अनुरोध है कि इस नव प्रख्यापित बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 को प्रभावकारी ढ़ंग से क्रियान्वित करें।

बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 की धारा 43 में यह प्रावधान किया गया है कि लघु खनिजों का थोक व्यापार राज्य सरकार, बिहार राज्य खनन निगम के माध्यम से करेगी।

साथ ही, नियम 53 के तहत राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि लघु खनिज का परिवहन करने वाले सभी वाहन, ट्रैक्टर समेत, Digital Lock एवं GPS अनिवार्य रूप से लगायेगे।

लघु खनिज व्यापार के लिए जिले में खुदरा अनुज्ञप्तिधारी की व्यवस्था :–

लघु खनिज व्यापार के लिए थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता दोनो का प्रावधान किया गया है। नयी नियमावली के प्रभाव में आने के पश्चात आपका सबसे बड़ा कार्य यह है कि आप अपने जिले में लघु खनिज हेतु खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों की व्यवस्था करें।

बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के नियम 45 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि लघु खनिजों के लिए खुदरा अनुज्ञप्ति प्रत्येक जिले में दी जाए। यह भी प्रावधान किया गया है कि खुदरा व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति किन्हें दी जानी है, इसकी अर्हता विभाग तय कर सकता है।

अतः पूर्णविचारोपरांत विभाग ने यह निर्णय लिया है कि खुदरा अनुज्ञप्ति की व्यवस्था एवं अर्हता निम्न अर्हत्ताओं के अनुरूप की जाए :–

1. सभी समाहर्ता यह तय करें कि उनके जिलें में कितनी खुदरा अनुज्ञप्तियॉ देना उचित होगा। यह अनुज्ञप्तियॉ अंचल–वार एवं शहरी क्षेत्र इत्यादि कारको को मद्देनजर रखते हुए तय की जा सकती है। अनुज्ञप्तियॉ पर्याप्त संख्या में दी जाये और भौगोलिक दृष्टिकोण से जिले के सभी क्षेत्रो में अवस्थित रहे ताकि जनता को सुगमता से लघु खनिज मिल सके।
2. तत्पश्चात जिला स्तर पर एक विज्ञापन निकाल कर आवेदन आमंत्रित किये जाये।
3. अनुज्ञप्ति देने के लिए निम्न अर्हत्ता होगी: –

12

i. अनुज्ञप्तिधारी को, जिस क्षेत्र में वह अनुज्ञप्ति चाहता है, उस क्षेत्र में एक कार्यालय होना तथा कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं कर्मियों की सुविधा होना अनिवार्य है।

ii. अनुज्ञप्तिधारी के पास कम–से–कम 05 वाहनों को खड़ा करने की भूमि होनी चाहिए। लघु खनिज से लदे ट्रक किसी भी हालत में सरकारी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखे जाने चाहिए। यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास स्वयं की भूमि नहीं है तो वह किराये पर यह व्यवस्था कर सकते है।

iii. अनुज्ञप्तिधारी को PAN CARD Holder तथा Aadhar Card होना अनिवार्य है।

iv. अनुज्ञप्तिधारी को Police Verification Report भी देना अनिवार्य होगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी हेतु अन्य शर्तें :–

i. खुदरा अनुज्ञप्ति मिलने पर GST Registration अनिवार्य होगा।

ii. अनुज्ञप्तिधारी को सभी व्यापार E-Challan के माध्यम से करना होगा।

iii. नियम 53 के तहत, अनुज्ञप्तिधारी के पास, यदि अपने ट्रक है, तो उनमें Digital Lock तथा GPS लगाना अनिवार्य होगा।

iv. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी वाहनधारी अथवा ट्रैक्टरधारी के साथ व्यापार नहीं करेंगे जिन्होंने Digital Lock तथा GPS नहीं लगवाया है।

v. अनुज्ञप्तिधारी अपने सभी Return ससमय जिला खनन पदाधिकारी तथा विभाग के समक्ष दायर करेंगे।

vi. अनुज्ञप्तिधारी को खनिज नियमावली, 2017 के नियम 74 के तहत मात्र एक ही खाता खोलना है एवं इस अनुज्ञप्ति संबंधी समस्त व्यापार उसी खाते के माध्यम से करना है।

5. खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय कमीशन :– सभी खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को बिहार राज्य खनन निगम द्वारा लघु खनिज की बिक्री का कुल मूल्य (Ex Go Down of BSMC) देय पर कमीशन देय होगा। कमीशन खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा तय किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त परिवहन खर्च भी प्रति किलोमीटर की दर से देय होगा।

6. खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय परिवहन खर्च :– खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय परिवहन खर्च वही होगा जो समाहर्ता तय करेंगे। समाहर्ता प्रति किलोमीटर दर वाहन–वार इस प्रकार तय कर सकते है :–

वाहन का प्रकार	प्रति किलोमीटर परिवहन खर्च
बैल गाड़ी	
ट्रैक्टर	
06 चक्का का ट्रक	
10 चक्का का ट्रक	
12 चक्का का ट्रक	
14 चक्का या उससे भारी वाहन	

GPS लगेगा

7. उपरोक्त परिवहन दर खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के अतिरिक्त थोक विक्रेता (BSMC) तथा Settlee के ऊपर भी लागू होगा।

8. आपके जिलें में यदि कोई Stockist License दिया गया है, तो उसकी अवधि 31 दिसम्बर 2017 को समाप्त हो रही है। उक्त Stockist License को अब Renew नहीं करना है। अब Stockist चाहें तो खुदरा अनुज्ञप्ति ले सकते है यदि वे उसकी अर्हत्ता को पूर्ण करते है।

9. 15 नवम्बर 2017 तक आपके जिले में पर्याप्त संख्या में खुदरा अनुज्ञप्तियॉ निर्गत हो जानी चाहिए।

अतः उपरोक्त पत्र पढ़ने के बाद आपसे निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है :–

क. कृपया अपने जिले में एक विज्ञापन निकाल कर खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्राप्त करना प्रारंभ किया जाये। विज्ञापन का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है। इस विज्ञापन प्रारूप में आप अपनी सुविधा अनुसार बदलाव कर सकते है।

ख. जिले में एक और विज्ञापन निकाला जाये जिसमें सभी Transporters को सूचित किया जाए कि यदि वे लघु खनिज का व्यापार करते है तो उन्हें 31 अक्टूबर 2017 तक Digital Lock एवं GPS लगा लेना होगा अन्यथा उनके वाहन को जब्त कर नियम 75, नियम 80 (सहपठित नियम 87) के तहत मुकदमा दायर किया जाएगा।

ग. जिला टास्क फोर्स की बैठक कर अपने जिले में प्रति किलोमीटर परिवहन खर्च तय किया जाये।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

11/10/17

(के0के0 पाठक)

प्रधान सचिव

के. के. पाठक, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार
विकास भवन, पटना–800 015
दूरभाष : 0612–2215857 (का0)

सत्यमेव जयते
बिहार सरकार

K. K. PATHAK, IAS
Principal Secretary
Department of Mines & Geology
Government of Bihar
Vikas Bhawan, Patna - 800 015
Tel : 0612-2215857 (Off.)
Fax : 0612-2232930
E-mail : secymine-bih@nic.in

पत्रांक .... /पटना, दिनांक ....

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

विषयः– लघु खनिज के खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु अतिरिक्त प्रावधान।

महाशय,

कृपया अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 3024 दिनांक 11.10.2017 का संदर्भ करें, जिसके द्वारा आपके जिले में लघु खनिज के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया था और कतिपय अर्हत्ताऐं तय की गई थी।

उसी क्रम में आगे सूचित करना है कि खुदरा अनुज्ञप्ति देते वक्त, उक्त पत्र के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों का भी ध्यान रखा जाये : –

1. सभी खुदरा अनुज्ञप्ति 3 (तीन) वर्ष के लिए दी जाएगी।
2. अनुज्ञप्ति शुल्क प्रतिवर्ष रूपये 10,000/– (दस हजार) की दर से कुल 30,000/– (तीस हजार) रूपये प्रारंभ में ही ले लिये जायें।
3. खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु एकरारनामा करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है, मात्र अनुज्ञप्ति निर्गत की जाये, जिसका प्रारूप निम्न होगा।
4. उन्हें अनुज्ञप्ति अवधि, यानी तीन वर्ष की अवधि, के लिए रूपये 1,00,000/– (एक लाख) की बैंक गारंटी देनी होगी, जिसका प्रारूप संलग्न है।
5. अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 3024 दिनांक 11.10.2017 की कंडिका 6 में आपसे अनुरोध किया गया था कि खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को परिवहन देय खर्च समाहर्त्ता तय करेंगे। किन्तु विभाग ने अब यह निर्णय लिया है कि अधिकतम परिवहन दर जिला–वार (upper ceiling) विभाग तय कर देगा और सभी समाहर्त्ता अपने जिलों की दर उक्त दर के बराबर या नीचे रखेंगे। मात्र बैल–गाड़ी का दर समाहर्त्ता अपने स्वविवेक से तय करेंगे क्योंकि बैल–गाड़ी का दर विभाग द्वारा तय नहीं किया जायेगा।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि GPS और Digital Lock सभी वाहनों में लगेगा किन्तु बैल–गाड़ी पर यह शर्त लागू नहीं होगी।
7. यदि समाहर्ता द्वारा 50 खुदरा अनुज्ञप्ति देने का निर्णय लिया जाता है और विज्ञापन निकालने के पश्चात जिलें में 50 से कहीं ज्यादा आवेदन आ जाते है (और जो सभी अर्हत्ताओं को पूर्ण करते है), तो ऐसी स्थिति में लॉटरी प्रखंड–वार की जाये ताकि सभी प्रखंड में पर्याप्त अनुज्ञप्तियॉं हो सके। समाहर्त्ता, यदि चाहें तो, प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर खुदरा अनुज्ञप्तियों की संख्या भी बढ़ा सकते है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
(के0के0 पाठक)

ज्ञापांक 4001 /पटना, दिनांक 15/10/17

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव/निदेशक/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के0के0 पाठक)
15/10/17

17

FORMAT OF BANK GUARANTEE FOR RETAIL LICESNEE OF MINOR MINERALS

[[illegible]] [Date]

To
The Governor of Bihar

WHEREAS

A. [Name - in case of the Company] with Corporate Identity Number [CIN of the Applicant] ;OR Name of the Retail Licensee (in case of Individual) with (PAN of the Applicant),

whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] (the "Applicant") is required to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount equal to INR [1,00,000] (Indian Rupees [One Lakh]) as a performance security valid until three years from the date of this Bank Guarantee ("Expiry Date").

B. The Performance Security is required to be provided to **The Governor of Bihar.** (the "State") for discharge of certain obligations under the Retail License for Minor Minerals issued on .... by the District Mining Officer .... under the Bihar Minor Mineral Rules, 2017 (collectively the **"Concession Document"**)

C. We, [name of the bank] (the **"Bank"**) at the request of the Applicant do hereby undertake to pay to the State an amount not exceeding INR [100,000](Indian Rupees [One Lakh]) **("Guarantee Amount")** to secure the obligations of the Applicant under the Concession Document on demand from the State on the terms and conditions contained herein.

NOW THEREFORE. the Bank hereby issues in favour of the State this irrevocable and unconditional payment bank guarantee **("Guarantee")** on behalf of the Applicant in the Guarantee Amount.

1. The Bank for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to the State without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from the State. a sum or rums (by way of one or more claims) not exceeding the Guarantee Amount in the aggregate without the State needing to prove or to show to the Bank grounds or reasons for such demand for the sum specified therein and notwithstanding any dispute or difference between the State and Applicant on any matter whatsoever. The Bank undertakes to pay to the State any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Applicant in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Bank's liability under this present being absolute and unequivocal.
2. The Bank acknowledges that any such demand by the State of the amounts payable by the Bank to the State shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amount payable by Applicant to the State under the Concession Document.
3. The Bank hereby waives the necessity for the State from demanding the aforesaid amount or any part thereof from the Applicant and also waives any right that the Bank may have of first requiring the State to pursue its legal remedies against the Applicant, before presenting any written demand to the Bank for payment under this Guarantee.
4. The Bank further unconditionally agrees with the State that the State shall be at liberty, without the Bank consent and without affecting in any manner the Bank's obligation under this Guarantee from time to time to:
   a. vary and/or modify and of the terms and conditions of the Concession Document:

b. extend and/or postpone the time for performance of the obligations of the Applicant under the Concession Document or

c. forbear or enforce any of the rights exercisable by the State against the Applicant under the terms and conditions of the Concession Document.

and the Bank shall not be relieved from its liability by reason of any act or omission on the part of the State or any indulgence by the State to the Applicant or other thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of relieving the Bank of its obligations under this Guarantee.

5. Any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deduction for, or on account of, any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever.

6. The Bank agrees that State, at its option, shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank, as a principal debtor in the first instance without proceeding at the first instance against the Applicant.

7. The Bank further agrees that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that specified in the Concession Document and that it shall continue to be enforceable till all the obligations of the Applicant under or by virtue of the said Concession Document with respect to the Performance Security have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the State Certificates that the terms and conditions of the Concession Document with respect to the Performance Security have been fully and properly carried out by the Applicant and accordingly discharges this guarantee. Notwithstanding anything contained herein, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the Expiry Date the Bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

8. The payment so made by the Bank under this Guarantee shall be a valid discharge of Bank's liability for payment there under and the State shall have no claim against the Bank for making such payment.

9. This Guarantee is subject to the laws of India. Any suit, action, or other proceedings arising out of this Guarantee or the Subject matter hereof shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts at the State of Bihar.

10. The Bank has the power to issue this Guarantee in favour of the State. This Guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank.

11. The Bank undertakes not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the State in writing.

12. The State may, with prior intimation to the Bank, assign the right under this Guarantee to any other departments, ministries or any government agencies, which may act in the name of the Governor save as provided in this Clause 12, this Guarantee shall not by assignable or transferable.

13. Notwithstanding anything contained herein.

    a. the liability of the bank under this bank guarantee shall not exceed the Guarantee Amount.

    b. This bank guarantee shall be valid up to the Expiry Date.

14. The Bank is liable to pay the guarantee amount or any part thereof under this guarantee only and only if the State serves upon the Bank a written claim or demand on or before the Expiry Date.

Dated the [day] day of [month] [year]

In witness whereof the Bank, through its authorized officer, has set its hand stamp.

(Signature)

(Name and Designation)

(Bank Stamp)